भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1454
बुधवार, 12 मार्च, 2025 (21 फाल्गुन, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारिता नीति की स्थिति

1454 श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंहः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-25 के बजट में प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारिता नीति की, प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों, किए गए परामर्श और अंतिम रूप देने की समय-सीमा सहित वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस नीति के अंतर्गत ग्रामीण आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और अन्य सहकारी समितियों की क्या भूमिका परिकल्पित की गई है;

(ग) सहकारी समितियों के लिए वित्तीय आवंटन और मार्च 2025 तक उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत तैयार की गई विशिष्ट योजनाओं और उनकी अपेक्षित समय-सीमा तथा प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क), (ख) तथा (घ): सहकारिता मंत्रालय की "सहकार से समृद्धि" के अधिदेश को पूरा करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की परिकल्पना की गई है । नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की रूपरेखा तैयार करने, जोकि सहकारी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता प्राप्त करने के लिए संरचना प्रदान करें, के लिए दिनांक 02.09.2022 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) और RCSs तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों शामिल थे । इस समिति ने 17 बैठकें आयोजित की और देश भर में हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं की । प्राप्त सुझावों को प्रारूप नीति में यथोचित रूप से समाविष्ट कर लिया गया है । प्रारूप नीति तैयार कर ली गई है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग):

(आंकड़ा करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट आवंटन (वित्त वर्ष 24-25)	संशोधित अनुमान (वित्त वर्ष 24-25)	उपयोग/व्यय 05.03.2025 को स्थिति
<u>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</u>				
1	4008- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण	500.00	131.00	113.63
2	4220- आईटी हस्तक्षेपों के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करना	88.96	25.00	15.87
<u>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं</u>				
1	4201- सहकारिता चीनी मिल (सीएसएमएस) के लिए एनसीडीसी की अनुदान सहायता	500.00	500.00	500.00
कुल		**1088.96**	**656.00**	**629.50**

*****